


251

359

निमा - ३३७५/२०१८/सर्वा/झरो



अधिकारी नान्दु पुत्रप्रेषण
दावेश ३१-५-१८ :- १:- तंदीप कुमार पवासी आ० स्व० श्री रामकरण पवासी उम् ३५ वर्ष ।
२:- श्री मती द्वोपती बाई पवासी पत्नी स्व० श्री संतोष कुमार पवासी
उम् ५५ वर्ष ।
३:- श्री मती द्वारा तिवारी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार तिवारी पुत्री स्व० श्री
संतोष कुमार पवासी उम् ३५ वर्ष । तभी निवासी ग्राम छुंडोरा तहसील
बिरसिंहपुर जिला सतना म० प्र०, -----

जैर निगराकार गण

बनाम

१:- राकेश कुमार मिश्रा आ० श्री बाबूलाल मिश्रा उम् २५ वर्ष निवासी
छुंडोरा तह० बिरसिंहपुर जिला सतना म० प्र०,

२:- शातन म० प्र० -----

जैर निगराकार गण

निगरानी अन्तर्गत धारा ५० म० प्र० का० माल

निगरानी बिल्ड, आदेश दि ११.४.०१८, पारित
दारा न्यायालय श्री मान, कलेक्टर महोदय सतना
जिला सतना म० प्र०, जरिये प्र० क्र० ५/पुर्नबिलोकन
/०१७-०१८,

पकरण के तथ्य स्थेष मे निम्न है :-

यह कि जैर निगराकार क्र० । ने मात्र म० प्र० शातन को पक्षकार

(नवीन बोनी)

11/2/11


M.P. High Court
Bhopal
M.P.
No. 352
Date 10/11/88
Reg. No. 227712
M.P. High Court
Bhopal
M.P.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ—अ

प्रकरण क्रमांक R-3375 / 18 / भू-रा०

जिला—सतना

संदीप कुमार पयासी/राकेश कुमार मिश्रा

(1)	(2)	(3)
24.04.19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री तारेन्द्र प्रताप पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी कलेक्टर, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 04/पुर्नविलोकन/2017-18 में पारित आदेश दिनांक 11.04.2018 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">M</p>	 (बी.एम. शर्मा), सदस्य